



ARCHDIOCESE OF BRISBANE

सुरक्षा नीति

आर्चडायोसिस सभी लोगों की अंतर्निहित गरिमा और अधिकारों को मान्यता देता है, चाहे उनकी आयु, लिंग, जाति, धार्मिक विश्वास, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, या पारिवारिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

आर्चडायोसीज़ की गतिविधियों, मंत्रालयों और सेवाओं में शामिल हर व्यक्ति को दुर्व्यवहार, शोषण और नुकसान से सुरक्षा का अधिकार है। इस प्रकार, सुरक्षा आर्चडायोसीज़ की देखभाल के प्राथमिक कर्तव्य का हिस्सा है।

उद्देश्य

आर्चडायोसिस के भीतर और उसके पार सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा आर्चडायोसिस की गतिविधियों, मंत्रालयों और सेवाओं से जुड़े दुर्व्यवहार, शोषण और नुकसान के जोखिम को कम करना।

सुरक्षा प्रतिबद्धता

आर्चडायोसिस सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण और नुकसान के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है तथा आर्चडायोसिस की गतिविधियों, मंत्रालयों और सेवाओं में शामिल या इससे प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जोखिमग्रस्त बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा और भलाई सर्वोपरि है।

राष्ट्रीय कैथोलिक सुरक्षा मानक

आर्चडायोसिस ने राष्ट्रीय कैथोलिक सुरक्षा मानकों को अपनाया है और उनका पालन करता है। ये मानक आर्चबिशप के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी एजेंसियों, पैरिशों, मंत्रालयों और सेवाओं पर लागू होते हैं।

अनुपालन

ढांचे और संबंधित सुरक्षा नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अनुपालन न करना अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार हो सकता है, जिसमें संभावित बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति, चर्च और/या वैधानिक प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, तथा आपराधिक या अन्य कानूनी कार्यवाही शामिल हो सकती है।